न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–17 / 2018 प्रा0प0 दिनांक 22.11.2021

उनवान

1. हाबू लाल पिता उदा जी जाति कुम्हार उम्र 60 वर्ष निवासी गांगागुढा तहसील भदेसर
2. मोहनलाल पिता उदा जी जाति कुम्हार उम्र 50 वर्ष निवासी गांगागुढा तहसील भदेसर

............प्रार्थी

।। बनाम ।।

1. श्री सरकार जरिये तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौडगढ़

............विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थित– प्रवीण जोशी वकील प्रार्थी

निर्णय

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की धारा के तहत इस आषय का प्रस्तुत किया –

1. यह कि प्रार्थीगण के आधिपत्य उपयोग उपभोग एवं खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम गांगागुढा पटवार हल्का धीरजी का खेडा तहसील भदेसर में स्थित है जिसके साबिक खाता संख्या 86 में अंकित आराजी नम्बर 69 / 2 रकबा 6 बीघा लगानी 4.50 रूपये नवीन खाता संख्या 105 की आराजी नम्बर 204 रकबा 1.300 हैक्टेयर भूमि दर्ज रेकार्ड है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी साबिक एवं नवीन मिलान शीट एवं नक्शा ट्रेस साबिक एवं नवीन वाद पत्र संलग्न है ।
2. यह कि मौजा गांगागुढा तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 69 / 2 रकबा 6 बीघा भूमि प्रार्थीगण ने खातेदार भेरूलाल पिता नानालाल महाजन निवासी भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ से दिनांक 11.05.1993 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की उसी दिनांक से प्रार्थीगण बहैसियत खातेदारी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वर्तमान में भी 06 बीघा भमि पर प्रार्थीगण काबिज हो काष्त करते चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मौके पर कब्जा जो वर्तमान में आ0नं0 210,211 रकबा 0.22 हैक्टेयर दर्ज किया गया जिस पर वक्त क्रय से कब्जा होकर काश्त कर रहा है। मौके पर कब्जा जो वर्तमान में आराजी नम्बर 210 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 211 रकबा 0.20 हैक्टेयर दर्ज किया गया जिस पर वक्त क्रय से कब्जा होकर काश्त कर रहा है। जो सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत तरमीम कर दिया गया।

3. यह कि प्रार्थीगण के पुराने आराजी नम्बर 69/2 रकबा 6 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 204 रकबा 1.30 हैक्टर के नक्शे में परिवर्तन कर दिया जिससे सीमांकन में बाधा आ रही है।

4. यह कि इस प्रकार सेटलमेन्ट से भू प्रबन्ध के कर्मचारियों को प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि के नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने का कोई कानूनी हक एवं अधिकार नहीं होते हुए भी नक्शे में मनमर्जी मुताबिक परिवर्तन करते हुए प्रार्थीगण की आराजीयात के नक्षा ट्रेस में परिवर्तन कर दिया है। यह सब संबंधित कर्मचारियों ने भूमि के नक्शे में हेर फेर करते हुए गंभीर त्रुटि कारित कर दी है जिससे प्रार्थीगण के हितों एवं अधिकारों पर विपरित असर पडा है इसलिए प्रार्थीगण की ओर से नक्शे में हुई त्रुटि को दुरुस्त कराये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ।

5. यह कि प्रार्थीगण खातेदार उपरोक्त नक्शा ट्रेस में हुई गंभीर त्रुटि को सही दुरुस्त कर शुद्धिकरण कराने के कानूनी अधिकारी है।

6. यह की प्रार्थीगण खातेदार के कब्जेशुदा भूमि की जमाबंदी एवं जमाबंदी भू प्रबंधक विभाग की प्रमाणित प्रति पटवार हल्का से दिनांक 25.03.2018 को प्राप्त करने पर नक्शे में अशुद्धि की जानकारी हुई तब से बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा होकर निरंतर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि साबिक खाता संख्या 86 में अंकित आराजी नम्बर 69/2 रकबा 6 बीघा के नवीन खाता संख्या 105 की आराजी नम्बर 204 रकबा 1.300 हैक्टर भूमि के नक्शे में परिवर्तन कर दिया जिसे दुरुस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी तहसीलदार भदेसर से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संदर्भ में राजस्व एवं मौका के आधार पर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार भदेसर द्वारा अपने पत्र संख्या राजस्व/18/SP दिनांक 01.05.2018 से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि मौजा गांगागुढा साबिक आराजी नम्बर 69/2 रकबा 6 बीघा भूमि प्रार्थीगण श्री हाबुलाल पिता उदा जी कुम्हार निवासी भदेसर एवं मोहन लाल पिता उदाजी कुम्हार निवासी भदेसर के नाम दर्ज रेकार्ड थी। भू प्रबन्ध के दौरान नवीन राजस्व रेकार्ड में खाता संख्या 86 में उक्त साबिक नम्बर को नया खाता संख्या 105 आराजी नम्बर 204 रकबा 1.30 हैक्टर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण [illegible] आराजी नम्बर 210 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 211 [illegible] कि[illegible]02 कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है उक्त आराजी नारायणी [illegible] के नाम दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थीगण के काबिज काश्त आराजी नम्बर 204 में से 0.21 हैक्टेयर रकबा कम

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned with CamScanner

करते हुए आराजी नम्बर 210 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 211 रकबा 0.20 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित मानते है।

प्रार्थना के समर्थन में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं पैराकार सरकार तहसील भदेसर द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया । जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण के पुराने रेकार्ड में आराजी नम्बर 69/2 रकबा 6 बीघा भूमि खातेदारी हक से दर्ज थी किन्तु भू प्रबन्ध से कायम नवीन आराजी नम्बर 204 रकबा 1.30 हैक्टैयर भूमि को नक्शे की तरमीम गलत कर त्रुटि कर दी गई है जो दुरूस्त किये जाने योग्य पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर.0एक्ट में अंकित तथ्य प्रमाणित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है कि तथा तहसीलदार भदेसर को आदेशित किया जाता है कि मौजा गांगागुढा साबिक खाता संख्या 86 में अंकित आराजी नम्बर 69/2 रकबा 6 बीघा जिसके भू प्रबन्ध से कायम नवीन खाता संख्या 105 आराजी नम्बर 204 रकबा 1.30 हैक्टर भूमि के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी के नक्शे की तरमीम कर दी जबकि प्रार्थीगण का वर्तमान में आराजी नम्बर 210 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 211 रकबा 0.20 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर पर भी काबिज होकर काश्त कर रहे है। अतः प्रार्थीगण के काबिज काश्त आराजी नम्बर 204 रकबा 1.30 हैक्टेयर में से 0.21 हैक्टेयर रकबा कम करते हुए आराजी नम्बर 210 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 211 रकबा 0.20 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.21 हैक्टेयर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किया जाकर तद्नुसार नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2022.02.28 14:13:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner